

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. ()2019/संअ/अरण्य भवन/ 634

दिनांक 28.5.2019


निविदा-सूचना

अरण्य भवन, जयपुर में निम्नलिखित कार्य हेतु राजस्थान सरकार या केन्द्र सरकार के अभियांत्रिकी विभाग के अनुभवी ठेकेदारों से कार्य कराने हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदायें दिनांक 11.06.2019 को मध्याह्न 01:30 बजे तक प्रेषित की जा सकती है एवं प्राप्त निविदायें दिनांक 11.06.2019 को ही मध्याह्न 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र रूपये 500/- का पोस्टल आर्डर या नकद राशि जमा कराकर दिनांक 11.06.2019 को प्रातः 11:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 7200/- का बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के नाम जमा कराने पर ही निविदा पर विचार किया जावेगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	घरोहर राशि (रु.)	निविदा शुल्क राशि (रु.)	निविदा विक्रय की दिनांक	निविदा प्राप्त करने की दिनांक	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	Operation and comprehensive maintenance of sewage treatment plant and water treatment plant at Aranya Bhawan, Jhalana Doongri, Jaipur.	3.60 Lacs	7200.00	500.00	11.06.2019 (प्रातः 11:00 बजे तक)	11.06.2019 (मध्याह्न 01:30 बजे तक)	12 Months

नोट:- निविदा के साथ निम्नलिखित प्रपत्रों की सत्यापित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

1. फर्म का वाणिज्य कर विभाग एवं सेवा कर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
2. निविदा केवल पी.एफ. लाइसेंस एवं पंजीयन धारक को विक्रय की जावेगी।
3. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
4. फर्म को अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत या अधिक राशि का समान प्रकार का एकल कार्य करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. अन्य सभी शर्तें अधिकारिक निविदा प्रपत्र के अनुसार मान्य होगी। निविदा की शर्तों के संबंध में कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर के कार्यालय में आकर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा विभागीय वेबसाइट <http://www.forest.rajasthan.gov.in> एवं sppp.rajasthan.gov.in पर भी देख सकते हैं।
6. आयकर (पेन नं.) की फोटो प्रति।
7. वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) पंजीकरण की प्रति।
8. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान एक्ट 1958 या इण्डिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।



(वेद प्रकाश गुर्जर)
वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर